न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी **उम्मेदी लाल मीना** आर.ए.एस.

अनवानः– **प्रकरण सं. 19/2024**

1. मदनलाल पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. हरीराम पुत्र जगराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 02, चक ज्वालासिंह वाला तह0 व जिला हनुमानगढ।
3. पाल सिंह पुत्र टेक सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 02, चक ज्वालासिंह वाला तह0 व जिला हनुमानगढ।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत चक ज्वालासिंह वाला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित नोटिस / आदेश क्रमांक 108 दिनांक 17.08.2024 ग्राम पंचायत चक ज्वालासिहवाला को निरस्त बाबत।

उपस्थितः–

1 श्री राजेशदीपराय, रामकुमार कस्वां अभिभाषक निगरानीकर्ता।

2 श्री खुशप्रीतसिंह संधू अप्रार्थी सं0 01, 02

–:निर्णयः–

दिनांकः–19.11.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत चक ज्वालासिंहवाला ने एक नोटिस / आदेश क्रमांक 108 दिनांक 17.08.2024 निगरानीकर्ता को इन कथनों के साथ प्रेषित किया कि निगरानीकर्ता ने द्वारा वार्ड नम्बर 02 में फिरनी पर अतिक्रमण कर रखा है तथा इस सम्बंध में सात दिवस में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो निगरानीकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। वस्तुतः प्रश्नगत भूखण्ड फिरनी का भाग नहीं है बल्कि फिरनी से हटकर बना हुआ है। प्रश्नगत भूखण्ड व इस भूखण्ड के चिपते पूर्वी ओर स्थित भूखण्ड जिसमें वर्तमान में देव सिंह निवास कर रहा है, उपरोक्त दोनों भूखण्ड देवसिंह के पिता तोता सिंह के थे जो घराघरू बंटवारा में प्रश्नगत भूखण्ड वीर सिंह पुत्र तोता सिंह को व इस भूखण्ड के पूर्वी ओर स्थित भूखण्ड देव सिंह को प्राप्त हुआ। वीर सिंह पुत्र तोता सिंह से प्रार्थी ने दिनांक 23.09.2009 को प्रश्नगत भूखण्ड खरीद किया है। प्रार्थी एक मजदूर पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी ने पाई पाई जोड़ जोड़कर प्रश्नगत भूखण्ड खरीद किया है। चक ज्वालासिंहवाला में ज्यादातर भूखण्डों के पट्टे बने हुए नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व योजना बनाई है जिसके तहत ड्रोन के जरिये मौके पर कब्जाधारी व्यक्तियों का नक्शा जारी कर पट्टे जारी करने के निर्देश हैं। इसी योजना के तहत आप ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ड्रोन से नक्शा जारी किया है तथा उसके तहत मात्र पट्टा जारी होना शेष है। प्रश्नगत [illegible] में प्रार्थी व उसका परिवार रिहायश कर रहे हैं। प्रार्थी के पास प्रश्नगत भूखण्ड के अलावा अन्य कोई भू[illegible] है तथा प्रश्नगत भूखण्ड में अर्सा दराज से विद्युत व पानी का सम्बंध स्थापित है [illegible] के पंचों ने प्रार्थी के प्रश्नगत भूखण्ड को सदैव सही होना स्वीकार [illegible] किया है [illegible] द्वारा भी ड्रोन से नक्शा जारी कर प्रश्नगत भूखण्ड फिरनी पर [illegible] जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा आक्षेपित नोटिस / आदेश दिनांक 17.08.2024 को अपास्त [illegible] जाने हेतु निम्न रूप से निवे[illegible] किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आक्षेपित नोटिस / आदेश दिनांक 17.08.2024 कतई गलत, विधि विरुद्ध एवम् मनमाना है जो अपास्त होने योग्य है। वर्तमान सरपंच प्रार्थी के साथ राजनैतिक द्वैषता रखता है व इसी द्वैषता के चलते अप्रार्थी संख्या 1 के सरपंच ने मसासिंह की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाकर उक्त नोटिस कतई मिथ्या व विधि विरुद्ध तरीका से

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:13:48 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 से प्रेषित करवाया है। आक्षेपित नोटिस में फिरनी पर अतिक्रमण होने के मिथ्या कथन किये हैं। अप्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया कि कथित फिरनी कितने फुट चौडी है। आक्षेपित नोटिस दिनांक 17.08.2024 भ्रामक है। आक्षेपित नोटिस प्रेषित करने से पूर्व प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है बल्कि प्रार्थी को सुने बिना प्रश्नगत स्थल पर अतिक्रमण होना मानकर हटाये जाने के आदेश पारित किये हैं जो न केवल विधि विरुद्व है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत है। ग्राम चक ज्वालासिंहवाला ने आक्षेपित नोटिस में अतिक्रमित भाग का साईज व पहचान का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया तथा ना ही इस सम्बंध में मौका पर कोई रिपोर्ट ली गई। वस्तुतः प्रश्नगत भूखण्ड वाके ग्राम पंचायत चक ज्वालासिंह में भूखण्ड साईज 31 गुणा 48 जिसके उत्तर में जोरा सिंह दक्षिण में गली आम पूर्व में देव सिंह पश्चिम में नक्षत्र सिंह स्थित है, को वीर सिंह पुत्र तोता सिंह से खरीद किया। उपरोक्त भूखण्ड व इसके चिपते पूर्व की ओर स्थित भूखण्ड जिसमें वर्तमान में देव सिंह निवास कर रहा है, उपरोक्त दोनों भूखण्ड देव सिंह के पिता तोता सिंह के थे जो घराघरू बंटवारा में प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड 31 गुणा 48 फुट वीर सिंह को व इसके पूर्वी ओर स्थित भूखण्ड देव सिंह को प्राप्त हुए। प्रार्थी ने उपरोक्त भूखण्ड वीर सिंह से दिनांक 23.03.2009 को जरिये इकरारनामा खरीद किया था। चक ज्वालासिंहवाला में ज्यादातर भूखण्डों के पट्टे बने हुए नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व योजना बनाई गई जिसके तहत ड्रोन के जरिये मौके पर कब्जाधारी व्यक्तियों का नक्शा जारी कर पट्टे जारी करने के निर्देश है। इसी योजना के तहत ग्राम पंचायत चक ज्वालासिंह द्वारा ड्रोन के जरिये प्रार्थी के भूखण्ड की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ड्रोन से नक्शा जारी किया गया है तथा उसका मात्र पट्टा जारी होना शेष है। प्रश्नगत भूखण्ड फिरनी का भाग नहीं है बल्कि फिरनी से हटकर बना हुआ है। अप्रार्थीगण ने फिरनी पर अतिक्रमण करने के मिथ्या कथन किये हैं। आक्षेपित नोटिस में फिरनी की चौड़ाई का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मिथ्या रूप से इसे फिरनी का भाग होना अभिकथित कर प्रार्थी के भूखण्ड को ध्वस्त करने की कार्यवाही कर रही है जो गलत है। प्रश्नगत जगह किसी भी नक्शा में फिरनी के रूप में नहीं दर्शायी गयी। यह भी निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बिना नक्शा के प्रश्नगत भूखण्ड को फिरनी का भाग मानकर गलत रूप से प्रार्थी के भूखण्ड को ध्वस्त करने को कटिबद्ध है। प्रश्नगत भूखण्ड में प्रार्थी व उसका परिवार रिहायश कर रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड के अलावा प्रार्थी के पास ओर कोई भूखण्ड नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड में अर्सा दराज से विद्युत व पानी का संबंध स्थापित है। पूर्व के सरपंचों ने प्रार्थी के प्रश्नगत भूखण्ड को सदैव सही होना मानकर विद्युत संबंध व जल संबंध की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है तथा ड्रोन नक्शा में भी प्रश्नगत स्थल को फिरनी का हिस्सा नहीं बताया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पिक एण्ड चूज के आधार पर प्रार्थी के विरुद्व मिथ्या रूप से कार्यवाही की जा रही है। यदि प्रश्नगत भूखण्ड को ध्वस्त कर दिया जाता है तो प्रार्थी व उसका परिवार बेघर हो जायेगा तथा उनके पास रिहायश हेतु कोई जगह नहीं रहेगी। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित नोटिस / आदेश क्रमांक 108 दिनांक 17.08.2024 ग्राम पंचायत चक ज्वालासिहवाला को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 01, 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान सरपंच प्रार्थी के साथ राजनैतिक द्वैषता रखता है व इसी द्वैषता के चलते अप्रार्थी संख्या 1 के सरपं[illegible] सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाकर उक्त नोटिस कतई मिथ्या व विधि विरुद्ध [illegible] से अप्रार्थी संख्या 1 से प्रेषित करवाया है। आक्षेपित नोटिस में फिरनी पर अतिक्रमण [illegible] मिथ्या कथन किये हैं। अप्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया कि कथित फिरनी कितने फुट चौडी है। आक्षेपित नोटिस दिनांक 17.08.2024 भ्रामक है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित नोटिस / आदेश क्रमांक 108 दिनांक 17.08.2024 ग्राम पंचायत चक ज्वालासिहवाला को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:13:48 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 व 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिपूर्वक रूप से नोटिस प्रेषित किया है। प्रार्थी द्वारा गली आम पर अतिक्रमण किया हुआ है। नोटिस दिनांक 17.08.2024 से पूर्व भी दिनांक 14.08.2024 को ग्राम पंचायत

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

द्वारा जरिये क्रमाक 105 प्रार्थी को अतिक्रमण बाबत अपने दस्तावेजात पेश करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था इसलिए प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना नोटिस दिनांक 17.08.2024 प्रेषित करने के तथ्य झूठे व निराधार साबित होते है। प्रार्थी द्वारा अपने मकान के साथ चिपती 25 फुट की गली आम पर अतिक्रमण किया हुआ है। पूर्व में भी दिनाक 05.08.2024 को सहायक विकास अधिकारी, एडीओ व एबीडीओ द्वारा विस्तृत जांच में भी प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित माना है। प्रार्थी की गली के निवासीयों / वाशिन्दो द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 18.09.2017 को अतिक्रमण हटाकर 25 फुट चौडाई में फिरनी / रास्ता हटाने बाबत अन्य ग्रामवासीयों के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन द्वारा ग्राम पंचायत का जो नक्शा तैयार किया गया है, उसमें भी प्रार्थी का घर क्रमांक 67 पर दर्शाया गया है जिसमें भी गली आम को छोडकर भी नक्शा तैयार किया गया है तथा प्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम ओर गली आम दर्शाई गई है इसलिए ड्रोन नक्शे में गली आम नही दर्शाने के तथ्य मिथ्या व झूठे साबित होते है तथा पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष निगरानी पोषणीय नही है, अगर पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के विरूद्ध प्रार्थी कोई कार्यवाही करना चाहता है तो प्रार्थी धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत समिति के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा बेघर होने के तथ्य झूठे व गलत दर्ज किये है क्योकि प्रार्थी का समस्त भूखण्ड ध्वस्त नही हो रहा है। मात्र प्रार्थी द्वारा रिहायशी भूखण्ड के आगे किये गये अतिक्रमण बाबत ही प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने अवैध व गैर कानुनी तरीके से किये गये पूर्णतः साबित अतिक्रमण पर अपना अवैध कब्जे को संरक्षित रखने के आशय से मिथ्या आधारो पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः निगरानी प्रार्थना प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

1. विकास अधिकारी कार्यालय पंचायत समिति हनुमानगढ के कार्यालय आदेश क्रमांक पंसह/पंचायत/2024 दिनांक 27.08.2024 के अनुसार ग्राम पंचायत चक ज्वालासिंहवाला की मुख्य फिरनी में चनन सिंह से दीवान सिंह के घर तक अतिक्रमण होना स्पष्ट है। निगरानीकर्ता के पास उक्त अतिक्रमित जगह के संबंध में कोई पटटा या अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत व इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।
2. निगरानीकर्ता द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, जिससे निगरानीकर्ता का विवादित भूखण्ड पर कोई हक हो और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य दौराने बहस प्रस्तुत किया है। निगरानीकर्ता केवल कब्जे के आधार पर पर अपना हक चाहता है। कब्जे के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा DNJ 2022 PAGE 302 Padhiyar Prahlad Ji Chomali (Deceased) Thro'LR vs Maniben Nagmalbhai (Deceased) Thro'LR & others में मत प्रतिपादित किया है कि "स्वामित्व के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती है, किसी वास्तविक मालिक या स्वामित्व धारक विरूद्ध किसी अतिचारी या गैरवासी कब्जे वाले व्यक्ति के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती" अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में प्रकरण निगरानीकार के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:13:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़